समाचार

कच्चा कोयला जलाने, प्रतिबंधित प्लास्टिक उपयोग पर लगाया गया जुर्माना

(निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले ने की कार्यवाही)

कोरबा 20 मार्च 2019 –नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा निगम क्षेत्र के होटल, जलपानगृहों, चाय दुकानों आदि में कच्चा कोयला जलाकर घातक प्रदूषण फैलाने व प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग करते पाए जाने पर दर्री क्षेत्र के कुछ प्रतिष्ठानों पर कार्यवाही करते हुए अर्थदण्ड लगाया गया है, साथ ही समझाईश दी गई है कि भविष्य में कच्चा कोयला न जलाएं और न ही प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग करें, अन्यथा और अधिक बड़ी कार्यवाही की जाएगी।

निगम के वरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक डॉ. संजय तिवारी ने बताया कि निगम क्षेत्र में स्थित होटल, रेस्टोरेंट, जलपानगृह व चाय दुकानों सहित अन्य लोगों द्वारा कच्चा कोयला जलाकर घातक प्रदूषण फैलाने के विरूद्ध निगम द्वारा कार्यवाही की जा रही है, इसी कड़ी में दर्री क्षेत्र में स्वच्छता निरीक्षक सतानंद द्विवेदी की अगुवाई में निगम द्वारा यह कार्यवाही की गई है, निरीक्षण के दौरान कच्चा कोयला जलाते पाए जाने पर पेट्रोल पम्प दर्री के पास स्थित अक्षय चाय दुकान को 200 रूपये अर्थदण्ड एवं सुमन धुर्वे होटल को 200 रूपये का जुर्माना किया गया है। इसी प्रकार मेन रोड अयोध्यापुरी स्थित पूजा होटल को 500 रूपये तथा प्रतीक्षा बस स्टैण्ड स्थित देवांगन बिरयानी सेंटर को 200 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया है। अयोध्यापुरी स्थित राधेश्याम डेयरी को प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग करते पाए जाने पर प्लास्टिक जप्ती करने के साथ ही 500 रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया है।

आयुक्त ने की अपील– आयुक्त श्री एस.के. दुबे ने निगम क्षेत्र में स्थित होटल, रेस्टोरेंट, जलपानगृहों, चाय दुकानों एवं सर्वसंबंधितों से अपील करते हुए कहा है कि कच्चा कोयला जलाने से जनस्वास्थ्य के लिए घातक प्रदूषण फैलता है एवं पर्यावरण पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अतः कच्चा कोयला कदापि न जलाएं। उन्होने कहा है कि प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग भी अपने प्रतिष्ठानों पर बिलकुल न करें, निगम द्वारा इनके विरूद्ध निरंतर कार्यवाही जारी रहेगी, अतः असुविधा से बचने के लिए कच्चा कोयला व प्रतिबंधित प्लास्टिक को उपयोग में कदापि न लाएं।